भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपील संख्या 1018/ 2010

राजस्थान राज्य ... अपीलकर्ता

बनाम

सुश्री गंवरा ... उत्तरदाता

निर्णय

एन. वी. रमना, न्यायाधीश

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील खंड पीठ आपराधिक अपील संख्या 186/1985 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 3 नवंबर, 2009 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है। जिससे उच्च न्यायालय ने इसमें प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और भारतीय दंड संहिता ("भा.द.स." संक्षेप में) की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रतिवादी के खिलाफ विद्वान सत्र न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि 5 सितंबर, 1982 को दोपहर लगभग 1:45 बजे पी.बी.एम. अस्पताल से टेलीफोन कॉल प्राप्त करने पर पी डब्ल्यू 14- जगदीशलाल, पुलिस उप अधीक्षक (परिवीक्षाधीन), थाना नवा शहर, बीकानेर ने अस्पताल का दौरा किया जहां उसे शांति उर्फ नायलॉन पूरी तरह से जली हुई हालत में मिली। पी डब्ल्यू14 को दिए अपने बयान में, उसने आरोप लगाया कि दहेज की अनुचित मांगों को पूरा नहीं करने के कारण उसकी सास गंवरा (यहाँ प्रतिवादी) की उसके खिलाफ क्रूर मंशा थी। इसी वजह से गंवरा ने उससे पीछा छुड़ाने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर माचिस की तीली से उसे जिंदा जला दिया था। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाई तथा उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसका बयान दर्ज करने के बाद, पी डब्ल्यू14 ने प्रतिवादी के खिलाफ भा.द.स. की धारा 307 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है और घटनास्थल का दौरा किया, घटनास्थल पंचनामा (प्रदर्श पी 26) और नक्शा मौका (प्रदर्श पी 2) तैयार किया। घटनास्थल से जले हुए कपड़ों के टुकड़े (प्रदर्श पी 5) और एक लालटेन को बरामद किया गया (प्रदर्श पी 3)। इस बीच, विद्वान मजिस्ट्रेट ने घायल का मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी P11) दर्ज किया। चूंकि पीड़िता ने 7 सितंबर, 1982 को जलने की चोटों के कारण दम तोड़ दिया था, भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आरोप भी मामले में

जोड़ा गया था और मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया। अभियुक्ता ने दोषी होने का अभिवाक नहीं किया और विचारण के लिए दावा किया।

3. अभियुक्ता के विरुद्ध मामले को साबित करने के अपने प्रयास में अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों से जिरह की, जबकि अभियुक्ता-प्रतिवादी ने अपने बचाव में तीन गवाहों को पेश किया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अंत में यह राय बनाई कि अभियुक्ता पीड़िता की जानबूझकर हत्या करने का दोषी था। तदनुसार, उसे भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके लिए विचारण न्यायालय द्वारा 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास का दंड दिया गया था।

4. व्यथित अभियुक्ता गंवरा ने मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में रखा। अभिलेख पर सबूतों की फिर से जांच करने पर, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास नहीं किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामले की परिस्थितियों में, मृत्युकालिक कथन के आधार पर अभियुक्ता के खिलाफ अपराध की पुष्टि करना असुरक्षित होगा। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और अभियुक्ता को आरोप से मुक्त कर दिया। अतः राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील में इस न्यायालय के समक्ष है।

5. विद्वान राज्य वकील द्वारा इस बात की जोरदार आलोचना की जाती है कि उच्च न्यायालय का निर्णय मनमाना और कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है। मृतका ने अपने मृत्युकालिक कथन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि किस तरह से अभियुक्ता ने आपराधिक कृत्य में लिप्त होकर उसे दहेज की अनुचित मांगों के कारण मारने के स्पष्ट इरादे से जिंदा जला दिया। मृतका के बयान की मृतका की मां, भाई और बहन की गवाही से विधिवत पुष्टि की गई थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्ता को अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए एक तर्कपूर्ण निर्णय पारित किया है, लेकिन उच्च न्यायालय ने मनमाने ढंग से विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की प्रार्थना की।

6. अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आलोक में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गहन विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि मृतका द्वारा अलग-अलग परिस्थितियों में कई कथन (मृत्युकालिक कथन) किये गए थे। जब जांच अधिकारी, पी डब्ल्यू14- जगदीश लाल ने अस्पताल में मृतका का दौरा किया और 5.9.1982 को दोपहर 1:45 बजे उसका बयान (प्रदर्श पी24) दर्ज किया, उसने जांच अधिकारी को बताया कि उसे उसकी सास (प्रतिवादी) ने दहेज की अपनी मांगों को पूरा नहीं करने के लिए

जलाया था। उसकी चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग उसे अस्पताल ले गए। उक्त बयान मृतका द्वारा अस्पताल में अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम व्यास, उनकी बहनों और अन्य रिश्तेदारों की उपस्थिति में दिया गया था। पी डब्ल्यू14 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत मृतका का बयान (प्रदर्श पी29) भी दर्ज किया है। पीडब्ल्यू14- जांच अधिकारी ने जिरह में स्वीकार किया है कि मृतका के कथन (प्रदर्श पी24 और पी29) दर्ज करने से पहले, उसने कथन देने के लिए मृतका की शारीरिक समर्थता या अन्यथा चिकित्सक से सत्यापित नहीं किया था।

7. तथापि, अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शित करता है कि पीडब्ल्यू 14 द्वारा प्रदर्श पी24 को अभिलिखित करने के दो घंटे के बाद, विद्वत मजिस्ट्रेट ने भी मृतका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया है, वो भी चिकित्सक से विधिवत शारीरिक समर्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए। जबकि, घटना की तारीख को अपराह्न 3:40 बजे विद्वान मजिस्ट्रेट को दिए गए उस कथन में, मृतका ने अपनी सास द्वारा दहेज की मांग के बारे में उल्लेख नहीं किया, लेकिन विशेष रूप से बताया कि उसकी सास ने ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया था।

8. यह अच्छी तरह से स्थापित है और हमारे हाथों से इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि मृत्युकालिक कथन ही दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है। इसी के साथ, यह मृत्युकालिक कथनों की

बहुलता नहीं है जो अभियोजन पक्ष के मामले को वजनदार बनाती है, बल्कि उनका गुणात्मक मूल्य मायने रखता है। स्थापित विधिक सिद्धांत यह है कि मृत्युकालिक कथन थोड़े से भी संदेह से मुक्त होना चाहिए और ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिससे न्यायालय को उसकी सत्यता और शुद्धता पर पूर्ण विश्वास हो। न्यायालय को मृत्युकालिक कथन को दिए जाने वाले महत्व पर विचार करते समय, विशेष रूप से जब एक से अधिक मृत्यु कथन हों, अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

9. अभियुक्ता- प्रतिवादी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने कथन में अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के समय, वह घर पर मौजूद नहीं थी क्योंकि वह अपनी दिनचर्या के अनुसार गोपालजी मंदिर गई थी और मंदिर से लौटते समय किसी ने उसे घटना के बारे में सूचित किया। वह तुरंत घर पहुंची, अपने भाई लालचंद को मदद के लिए बुलाया और अपनी बहू को टेंपो से अस्पताल ले गई और भर्ती कराया। जब वह अस्पताल में पीड़िता के पास बैठी थी, तो अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम के साथ मृतका के परिवार के सदस्य वहां पहुंचे और उसे बरामदे में बैठने के लिए कहा। जब वह मृतका के कमरे के बाहर थी, अधिवक्ता और परिवार के सदस्यों ने मृतका को अभियुक्ता के खिलाफ बयान देने के लिए उकसाया और सिखाया।

10. मृत्युकालिक कथन के अंतर्निहित मूल्य और विश्वसनीयता को सामान्यतः इसके तात्पर्य और अन्तर्वस्तु से आंका जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में, मृतका के आदेश पर दर्ज किए गए तथाकथित मृत्युकालिक कथन उसकी सत्यता पर भारी संदेह पैदा करते हैं क्योंकि घटना के समय अपराध स्थल पर अभियुक्ता की उपस्थिति, पीड़िता को अस्पताल लाना, और मृतका के कथन दर्ज करते समय रिश्तेदारों और अधिवक्ता की उपस्थिति और उकसावे का प्रभाव के तथ्यों में विरोधाभासी फेरफार था। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि जब पीडब्ल्यू14 ने आसपास पूछताछ की, किसी ने भी अभियोजन पक्ष के इस मामले का समर्थन नहीं किया कि अभियुक्ता ने मृतका को आग लगाई थी। जांच अधिकारी (पीडब्ल्यू14) ने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि अपनी पूछताछ के दौरान, उन्होंने पाया कि घटना के समय, अभियुक्ता घर से दूर थी क्योंकि वह गोपालजी मंदिर गई थी और यह अभियुक्ता ही थी जिसने सबसे पहले मृतका को अस्पताल पहुंचाया। यह पीडब्ल्यू14 द्वारा भी स्पष्ट किया गया था कि उसे पड़ोस से पता चला कि मृतका अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी और हमेशा अपने मायके में रहना चाहती थी। उनके अनुसार, मृतका शांति हृष्ट-पुष्ट शरीर वाली महिला थी और अभियुक्ता गंवारा मृतका शांति की शारीरिक संरचना की तुलना में कमजोर थी। अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों में से अधिकांश या तो मृतका के रिश्तेदार हैं या अनुश्रुत गवाह हैं और जांच

करने वाले गवाह हैं और उनमें से कोई भी अपराध के समय मौजूद नहीं था। पूर्वगामी के आलोक में, यह कहा जा सकता है कि मृत्युकालिक कथनों में प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की तात्विक गवाहों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का जायजा लेते हुए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने उचित महसूस किया है कि हस्तगत मामले में मृत्युकालिक कथन ने अभियुक्ता की दोषसिद्धि के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं किया। इस स्थिति में, न्यायालय को अभियुक्ता को संदेह का लाभ देना होगा क्योंकि दोषसिद्धि को बनाए रखना सुरक्षित नहीं है क्योंकि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में मृत्युकालिक कथन पर अंतर्निहित निर्भरता नहीं रखी जा सकती है।

12. उपरोक्त सभी कारणों से, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को बरकरार रखते हैं। तद्नुसार अपील गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

न्यायाधीश (एन. वी. रमन)

न्यायाधीश (मोहन एम. शांतनगौदर)

नई दिल्ली,

28 अगस्त, 2018

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।